

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
8/4/24		पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अपाक्षित प्रार्थी स. 1 की पुनः तलबी हेतु दिनांक 17/5/24 को पेश हो
17/5/24		पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 24/6/24 को पेश हो
24/6/24		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अपाक्षित प्रार्थी स. 1 की तामील हुए एक माह से अधिक समय हो चुका है, बावजूद सम्पत्त तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रार्थी स. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।</p> <p>मां०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकील प्रार्थी की एकपक्षीय सुनी गई।</p>
		<p>पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के उपरान्त विवादीत आराजी भूमि खसरा नम्बर 123/12 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 123/5 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ख.न. 123/7 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ख.न. 767/1 रकबा 19 बिस्वा, ख.न. 767/2 रकबा 5 बिस्वा ख.न. 767/3 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा ख.न. 767/4 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किताने कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम जयपुर तहसील बरसी जिला जयपुर में उभयपक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त विवादीत</p>

# फर्द अहकाम

बनाम

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी  
द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दनांक आज्ञा  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

आराजी पर ताफैसला वाद के मोक  
व रिकार्ड की अस्थास्थिति बनाये रखें

पत्रावली फैसला शुमार होकर  
वाद तकगील दाखिल दफतर हो।

कान्त